प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2012-13/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of grant of DR rates from 01.01.2012 @ 139% on pre-revised pension of Jharkhand pensioners

Ref:- 1.Principal Accountant General, (A&E) Jharkhand No Pen III/DR/-Jharkhand/SSA 42/2012-13/4338 dt 11.07.2012

2. Jharkhand Government, Finance Department No 6A(DR)-03/09-1406V DT 03.07.2012.

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Principal Accountant General (A&E), Jharkhand in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad

for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

No.Pen-III /DR/Jharkhand/SSA. No. 42 /2012-13/ 4338 Dated: 11/7/12

UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY

To,

1.	Accountant General (A&E), **Andhra Pradesh**, Saifabad, Hyderabad	500463
2	Director of Audit & Pension Govt of **Arunachal Pradesh**, Naharlagun	791110
3	Accountant General (A&E), **Assam**, Guwahati, Maidamgaon, Beltola, Guwahati	781029
4	Accountant General (A&E), **Bihar**, Birchand Patel Marg, R-Block, Patna	800001
5	Accountant General (A&E),**Chatisgarh,** 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafadih Raipur	492009
6	Deputy Director of Accounts / P.A.I. Govt of **Goa,** Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7	Accountant General (A&E), **Gujrat**, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8	Accountant General (A&E), **Haryana**, Lekha Bhawan, Plot No.4&5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
9	Senior Deputy Accountant General (A&E), **Himachal Pradesh**, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10	Principal Accountant General (A&E), **Jammu & Kashmir**, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11	Principal Accountant General (A&E), **Karnataka**, Residency Park Road, Post Box No.5329/5369 Bangalore	560001
12	Accountant General (A&E), **Kerla,** Post Box No.5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13	Accountant General (A&E), **Madhya Pradesh**, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14	Principal Accountant General (A&E), **Maharashtra**, 2nd Floor, Pratishtha Bhawan,New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15	Accountant General (A&E), **Maharashtra**, West High Court Road, Civil Line, **Nagpur**	440001
16	Senion Deputy Accountant General (A&E), **Manipur**, Imphal	795001
17	Accountant General (A&E), **Meghalaya**, Shilong	793001
18	Accountant General (A&E), **Mizoram**, Shri Bualhranga Building, Dinthar Aizawl	796001
19	Senior Deputy Accountant General (A&E), **Nagaland**, Kohima	797001
20	Accountant General (A&E), **Orissa**, Bhubaneswar	751001
21	Accountant General (A&E), **Punjab &Union Territory of Chandigarh**, Sector-17E, Chandigarh	160017
22	Principal Accountant General (A&E), **Rajasthan**, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23	Senion Deputy Accountant General (A&E),**Sikkim**, Lekha Pariksha Bhavan, Deorali, PO-Tadong,Gangtok	737102

24	Accountant General (A&E), **Tamil Nadu** 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25	Senion Deputy Accountant General (A&E), **Tripura** PO-Kunjaban, Agartala	799006
26	Accountant General (A&E), **Uttar Pradesh**, 20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad	211001
27	Accountant General (A&E), **Uttarakhand**, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majra,Dehradun	248171
28	PrincipalAccountant General (A&E),**West Bengal**, Treasury Buildings, No.2, Govt Place(West) Kolkata	700001
29	Director of Accounts and Treasuries, Govt. of **Pondicherry**, Pondicherry	605001
30	Controller of Accounts, **Ministry of External Affairs**, 3rd Floor,Akbar Bhavan, New Delhi	110007
31	Pay & Accounts Officer (V),**Delhi Administration**,TIS Hazar, New Delhi	110124
32	Chief Controller of Accounts, **M/o External Affairs to the Indian Mission**, Kathmandu Akabar Bhavan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Sub: - Enhancement rate of Dearness Relief w.e.f. 01-01-2012 in favor of Jharkhand State Government pensioners/family pensioners in unrevised pension.

Sir,

I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand, Finance Department Memo **No.** वि. प्र.- **6 A** (**म भ**)**-03/09/1406/** वि. **Dated 03/07/2012** on the subject stated above under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all Pension Disbursing Authorities under your jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Yours Faithfully

Encl:-As stated above.

Sr. Accounts Officer /Pen-III
Jharkhand, Ranchi.

संख्या : वि॰प्र॰ 6ए (म॰म॰)–03/09 1406/वि॰

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची, दिनांक 03/07/2012

संकल्प

विशय : राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को अपुनरीक्षित पेंशन में दिनांक 01.01.2012 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशन धारियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशन धारियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों की भाँति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–17(A) (B) एवं तदोपरांत वित्त विभागीय संकल्प के द्वारा राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को केन्द्रीय दर पर दिनांक 01.01.2012 से प्रभावी महँगाई भत्ता की दर को स्वीकृत किया गया है।

2. राज्य सरकार के कई पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगी कतिपय कारणों से अपुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर औपबंधिक पेंशन अथवा अंतिम रूप से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वित्त विभाग के संकल्प संख्या 313/वि०, दिनांक 13.02.2012 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को अपुनरीक्षित पेंशन में दिनांक 01.07.2011 के प्रभाव से 127% महँगाई राहत स्वीकृत है।

3. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग के पत्र संख्या 42/13/2012–P & PW(G), दिनांक 30.04.2012 के द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर औपबंधिक पेंशन या पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के पेंशन भोगियों को दिनांक 01.01.2012 के प्रभाव से 139% महँगाई राहत स्वीकृत किया गया है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत राज्य के वैसे पेंशन भोगी/पारिवारिक पेंशन भोगी जिन्हें अपुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर औपबंधिक पेंशन या पेंशन का भुगतान हो रहा है, के संबंध में केन्द्र के अनुरूप दिनांक 01.01.2012 के प्रभाव से 139% (एक सौ उनतालिस प्रतिशत) महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

5. महँगाई राहत के नियमितिकरण से संबंधित शर्त्त पूर्ववत् ज्यों–की–त्यों अपरिवर्तित रहेगी। महँगाई राहत की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो, तो अगले उच्चत्तर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

6. पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर आदेय राहत का भुगतान करते समय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3556/वि०, दिनांक 09.05.1991 में समविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत के शेष सभी असैनिक पेंशन भोगियों को देय होगा, जिन्हें क्षतिपूर्त्ति/वार्धक्य/निवृत्ति/असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक/पारिवारिक/असाधारण पेंशन पाने वाले को भी आदेय राहत को भुगतान अनुमान्य होगा।

7. पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों के इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार्य हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग (I) के नियम– 344(I) के तहत् राज्य के अंतर्गत बिना महालेखाकार, बिहार एवं झारखण्ड के प्राधिकार के ही भुगतान का आदेश दिया जाता है। पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी महँगाई राहत

दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को त्वरित भुगतान कराने हेतु संबंधित सभी बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दिए जाए।

8. राज्य के बाहर आदेय महँगाई राहत की निकासी केवल महालेखाकार, झारखण्ड के प्राधिकार पर ही किया जायेगा। इस हेतु महालेखाकार, झारखण्ड से अनुरोध है कि सभी संबंधित महालेखाकार को इस हेतु अविलम्ब प्राधिकृत कर दिया जाय तथा इसकी सूचना झारखण्ड सरकार, वित्त विभाग को भी दी जाए।

9. महँगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित सभी प्रावधानों के दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय। भुगतान के समय भुगतान की जाने वाली महँगाई राहत की राशि की शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारियों का दायित्व होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Office of the Accountant General (A&E) Jharkhand
06 JUL 2012
Ranchi - 834002

Sukhdev 2/7/12

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : वि॰प्र॰ 6ए (मं॰म॰)–03/09 1406/वि॰ **राँची, दिनांक** 03/07/2012

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sukhdev 2/7/12

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : वि॰प्र॰ 6ए (मं॰म॰)–03/09 1406/वि॰ **राँची, दिनांक** 03/07/2012

प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानसभ सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/ सभी कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखंड/पेंशन शाखा, वित्त विभाग/वित्त विभाग के सर्भ पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/7/12
186
12989

Sukhdev 2/7/12

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : वि॰प्र॰ 6ए (म॰म॰)–03/09 1406/वि॰ राँची, दिनांक 03/07/2012

प्रतिलिपि : महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महँगाई राहत की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय।

Sukhdev 2/7/12

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : वि॰प्र॰ 6ए (म॰म॰)–03/09 1406/वि॰ राँची, दिनांक 03/07/2012

प्रतिलिपि : उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, भायखला ऑफिस बिल्डिंग चौथी मंजिल, मुम्बई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन के सामने भायखाला, मुम्बई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

Sukhdev 2/7/12

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : वि॰प्र॰ 6ए (म॰म॰)–03/09 1406/वि॰ राँची, दिनांक 03/07/2012

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके राजपत्र की 100 प्रतियां वित्त प्रशाखा–6ए को उपलब्ध करावें।

Sukhdev 2/7/12

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।